भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 456

दिनांक 22 जुलाई, 2021 को उत्तर के लिए

कोविड-19 के कारण प्रभावित हुए बाल अधिकार

456. श्री मल्लिकार्जुन खरगे :

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोविड-19 से संबंधित लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण बाल उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि से संबंधित कोई आकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोविड के कारण आई वित्तीय कठिनाइयों के कारण देश भर में बाल विवाह के मामलों में हुई वृद्धि के संबंध में कोई आंकड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा उन बच्चों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं जो उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं अथवा जिनकी छोटी उम्र में शादी की जा रही है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ड.) : किशोर न्याय अधिनियम (जेजे अधिनियम) 2015 कोविड-19 से प्रभावित बच्चों सहित देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए संस्थानिक एवं गैर संस्थानिक देखरेख के साथ सेवा प्रदायगी संरचनाओं के सुरक्षा जाल को अधिदेशित करता है। सरकार बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना चला रही है जो संस्थानिक एवं गैर संस्थानिक देखरेख के उपायों के लिए समर्थन प्रदान करती है जिनका उद्देश्य दुरुपयोग के शिकार बच्चों सहित देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करना है। अधिनियम के निष्पादन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

मंत्रालय ने महामारी के दौरान बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एडवाइजरी एवं दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीपीएस योजना के तहत संस्थानिक एवं गैर संस्थानिक देखरेख के लिए वित्त-पोषित सुविधाओं का लाभ उठाते समय जेजे अधिनियम के तहत निर्धारित कोविड अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास के लिए दिशा-निर्देश के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ प्राथमिक ड्यूटीधारकों का जिम्मेदारी मैट्रिक्स भी साझा किया है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार अब तक कोविड-19 से संबंधित लॉकडाउन के कारण बाल दुरुपयोग के मामलों में वृद्धि तथा कोविड के कारण उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों की वजह से देश में बाल विवाह में वृद्धि से संबंधित आंकड़ों के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

****